रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224079
CG-DL-E-01012021-224079

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4200]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942
No. 4200]	NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4789(अ).—केन्द्रीय सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोल इंडिया लिमिटेड अर्थात ईस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड, सेंक्टोरिया; सेंट्रल कोलफिल्डस लिमिटेड, रांची; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड, नागपुर; सॉउथ ईस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेड, बिलासपुर; नार्दर्न कोलफिल्डस लिमिटेड, सिंगरौली और महानदी कोलफिल्डस लिमिटेड, संबलपुर। नामक विविध के तत्वाधान के अधीन कोयला कंपनियों को भारत सरकार ने भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या का.आ. 2063 तारीख 21 जून, 1988 की लागूकरणीयता से उक्त अधिसूचना की अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 में विनिर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रमिक के नियोजन के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन तारीख 7 दिसम्बर, 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है अर्थात-

(i) उपर्युक्त कार्यों में नियोजित कर्मकारों के हित संरक्षित हों-

(ii) एसे कर्मकारों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार और 13 फरवरी, 2013 को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित दरों पर संदत्त मजदूरी और अन्य प्रसुविधाएं प्रदान की जाएं-और

(iii) केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को यह सुनिश्चित करने और जांचने के लिए स्थापन का निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी संबंधित समनुषंगी में ऐसे कर्मकारों को ऐसी मजदूरी और फायदें दिए जाते हैं।

[फा.सं.यू-23013/15/2014-L.W]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

S.O. 4789 (E).— In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Government hereby exempts various coal companies under the aiges of Coal India Ltd., namely, the Eastern Coalfields Ltd, Sanctoria; Central Coalfields Limited, Ranchi; Bharat Coking Coal Ltd, Dhanbad; Western Coalfields Ltd, Nagpur; South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur; Northern Coalfields Limited, Singhaurali; and Mahanadi Coalfields Limited, Sambalpur, from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 2063, dated the 21st June, 1988, published in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (ii), in respect of employment of contract labour in the works specified against serial numbers 1 to 3 in the Schedule to the said notification, for a period of one year with effect from the 7th December, 2020, subject to the following conditions, namely:-

(i) the interest of the workmen engaged in the above mentioned jobs be protected;

(ii) such workmen be paid wages and other benefits as per the recommendations of the high powered committee appointed by the Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited on the 13th February, 2013; and

(iii) the Central Advisory Contract Labour Board will have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are given to such workers in Coal India Limited and its subsidiary concerned.

[F. No. U-23013/15/2014-L.W]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.01 19:42:24 +05'30'